

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. भूगवानपुरा

महोदयजी, प्राणी का नाम रावच रिपोर्ट में सुरेश पि. रामपाल मुद्रा दर्ज है क्योंकि प्राणी के अणु सभी दस्तावेजों में रमेश पिता रामपाल मुद्रा दर्ज हो दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः महोदयजी से निवेदन है कि प्राणी का नाम रावच रिपोर्ट में भी रमेश पि. रामपाल मुद्रा किया जाना उचित है।

[Signature]
रिपोर्ट तहसीलदार व नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी, I.L.R का संलग्न प्रस्ताव के आधार पर सुरेश पिता रामपाल के बजाय रमेश पिता रामपाल किया जाना उचित है।

तहसीलदार-माण्डल
जिला भीलवाड़ा

हु मांड-प्र.गा. के वंग-भामि. 2021 / के-4 भूगवानपुरा / 130
आदेश

दिनांक 25/10/21

तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के अनुसार सुरेश पिता रामपाल के बजाय रमेश से 1414 के राजस्व रेकार्ड में रमेश पिता रामपाल किये जाने का आदेश दिया जाता है।

[Signature]
उपखंड अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभिया. 21

